तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रतनलाल बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी** **धारा 131 भू.राजस्व ,अधिनियम** **प्रकरण सख्या 20/2022**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/8/2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रार्थी ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र धारा 131 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया एव तहसीलदार लूणी से रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। जो प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। बहस पक्षकारान् की सुनी गई। प्रार्थी ने बहस मे निवेदन किया कि खसरा नम्बर 259/3, 259/7, 265/3 एव 265/5 कुल खसरा 4 कुल रकबा 11 बीधा 04 बिस्वा 10 बिस्वाशी अर्थात 1.8170 हैक्टर ग्राम सालावास की भूमि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि है। पूर्व मे मूल खसरा नम्बर 259 रकबा 20 बीधा 08 बीधा खसरा नम्बर 265 रकबा 37 बीधा 12 बिस्वा एव खसरा नम्बर 265/1 रकबा 8 बिस्वा प्रार्थी एव अप्रार्थीगण क सयुक्त खातेदारी की भूमि थी जिसका खातेदारान् के मध्य 16.09.2014 को विभाजन किया गया जिसका बंटवाडा होकर अलग अलग खातो मे भूमि दर्ज की गई। उक्त बंटवाडा दिनाक 16.09.2014 का नक्शा बंटवाडा के साथ सलग्न है जिसमे सभी खातेदारान् की पूर्ण सहमति थी। उक्त बंटवाडा अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम की जानी कानूनी लाजमी थी परन्तु हाल मे ही आनॅलाइन तरमीम की गई जो बंटवाडा मे वर्णितानुसार न कर मनमाने तौर पर की गई जो अशुद्व है जिसे शुद्व किया जाकर बटवाडा दिनाक 16.09.2014 के अनुसार की जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी गण की ओर से बहस मे कथन किया कि आनॅलाइन तरमीम सही है उसमे किसी प्रकार की दुरस्ती नही की जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने मूल रूप से आनॅलाइन तरमीम को अशुद्व बताकर खातेदारान् के मध्य विभाजन कि नक्शे दिनांक 16.09.2014 के अनुसार तरमीम किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा आपसी सहमती से हुए विभाजन दिनाक 16.09.2014 के साथ सलग्न नक्शे की प्रति एव आनॅलाइन तरमीम की प्रति पेश कि जिसको देखने से प्रथम दृष्टया भिन्नता प्रतीत हो रही है। जिस स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि बंटवाडा दिनाक 16.09.2014 के नक्शे मे अंकित है वो आनॅलाइन तरमीम नक्शे मे नही है जो स्पष्ट रूप से भिन्नता प्रगट करता है। इस प्रकार तहसीलदार लूणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे हल्का पटवारी ने आनॅलाइन तरमीम की स्थिति एव बंटवाडा दिनाक 16.09.2014 के नामान्तरकरण सख्या 3383 की पुश्त पर अकित नक्शे मे भिन्नता दशाइ है तथा तरमीम को अशुद्व बताया है। इन परिस्थितियो मे कानूनी रूप से आपसी सहमति से हुए विभाजन के शड्यूल मे अकित नक्शे अनुसार ही तरमीम होना कानूनी लाजमी है परन्तु आनॅलाइन तरमीम उसमे भिन्न है ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्टया आनॅलाइन तरमीम शुद्व प्रतीत होती है जिमे शुद्व किया जाना आवश्यक है अन्यथा भविष्य मे विवाद की संभावना बन जाती है इन परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः–प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देश दिए जाते है कि आनॅलाइन तरमीम को हटा कर उसके स्थान पर विभाजन दिनांक 16.09.2014 के बंटवाडा शड्यूल मे वर्णित नक्शे अनुसार राजस्व नक्शे मे तरमीम अकित की जावें तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की तरमीम विभाजन दिनाक 16.09.2014 क शड्यूल के अनुसार अंकित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दपतर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner